उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता विभाग,
इलाहाबाद।

सं. 2018/03/01637/सी/वी1/एन/इला. दिनांक 07.03.19

प्रणाली सुधार सं. 02/2019

मंडल रेल प्रबन्धक,
उमरे, इलाहाबाद, झांसी एवं आगरा।

विषयः– निर्धारित कार्यालयीन प्रकिया का पारिदर्शितापूर्ण ढंग से पालन के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रणाली सुधार ।

एक शिकायत प्रकरण में सतर्कता ज़ांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि एक मंडल कार्यालय में गठित रिक्रूटमेंट सेल में कार्यरत कर्मचारी द्वारा रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ से प्राप्त पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में बुलाये जाने एवं अनुपस्थित हुये अभ्यर्थियों को पुनः बुलाने एवं प्रशिक्षण के लिये भेजने से पूर्व इसे प्रभारी अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी /सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत न करके अपने स्तर से निर्णय लेते हुये पूर्व निर्धारित तिथि में अनुपस्थिति हुये अभ्यर्थियों को दुबारा दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु बुला लिया गया जबकि इसका निर्धारण रिक्रू0सेल के प्रभारी अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये था। अतः इस सम्बन्ध में निर्धारित कार्यालयीन प्रकिया का पारिदर्शितापूर्ण ढंग से पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रस्तावित प्रणाली सुधार को अपनाये जाने के बावत आवश्यक सुझाव दिये जा रहे है :–

1. मंडल कार्यालय/यूनिटों में गठित रिक्रूटमेंट सेल में कार्यरत कर्मचारी द्वारा रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ से प्राप्त पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण में बुलाये जाने से पूर्व इनका पूर्ण विवरण प्रभारी अधिकारी/सहायक कार्मिक अधिकारी /सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाय।

2. सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु बुलावा पत्र भेजा जाय।

3.निर्धारित तिथि में अनुपस्थिति हुये अभ्यर्थियों को दुबारा दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु बुलावा पत्र भेजने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अवश्य लिया जाय।

4..दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु बुलाये गये अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में उपस्थिति हुये या नही इसका कमवार व्यौरा बनाकर रिकू0सेल के प्रभारी अधिकारी के संज्ञान में लाकर उस पर निर्देश प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5. दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर उन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भेजने हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिचित किया जाय।

इसे वरि.उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ए.के.साहनी
08/03/19

(ए.के.साहनी)
उप मु.सत.अधि./यां

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।